

2025/728

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर  
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

कमांक : राजस्व/2025/595

दिनांक : 24/11/2025

रा. प्र. घ. सं. - 611/2025 - :आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रियां, भू.अभिलेख निरीक्षक बुचकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा, संबंधित खातेदारों द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसरण में ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर की जमाबन्दी सर्वे आधार संवत् 2081 में खाता संख्या 1008, 842, 671, 307, 1006 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट 3228/20.06.2025 उक्त आदेश का भाग रहेगा।

क. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)			आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)		
			खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में
1	रियां	समसुखां पुत्र मुरादखां	1008	272	0.7586			
		रमजानखां पुत्र दाउदखां	842	269	0.1294	842	269	0.1294
				270	3.3540		270	3.1066
		भीकेखां पुत्र अली मोहम्मद	671	273	1.7423	1008	272	0.7586
					671	273	1.9897	
2	रियां	छोटी पत्नी सफरुखां	307	268	0.1701	307	268	0.1701
				271	2.0674		271	1.9604
		समसुखां पुत्र मुरादखां	1006	266	3.3894	1006	266	3.4964
				267	0.0632		267	0.0632

उपरोक्तानुसार तरमीम व रेकॉर्ड शुद्धि की जाती है।

(नेमा-राम)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहा. कलक्टर, पीपाड़ शहर  
दिनांक : 24/11/2025

कमांक :-सम/2025/ 59670597

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी रियां को सूचनार्थ।

(नेमा-राम)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, पीपाड़ शहर  
उपखण्ड अधिकारी  
पीपाड़ शहर